(6)

आज दिनांक-5-5-97 को अनुमण्डल कार्यालय कक्ष में अनुमण्डल पदाधिकारी धालभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में चाटीकोचा, जादूगोड़ा में निर्माणाधीन स्लाईन डेम से हुए विस्थापितों की समस्या से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारीगण एवं विस्थापित एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए :-

1-अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर।
2-श्री के०एल० देव, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर।
3-श्री के०के० बेरो, डायरेक्टर टेक्नीकल, यूसील, जादूगोड़ा
4-श्री पूर्णेन्दु घोष, अपर प्रबन्धक [सुरक्षा] यूसील, जादूगोड़ा
5-श्री शेखर चन्द्र तन्तुबाय, अंचल अधिकारी, पोटका
6-श्री जे० कुजूर, आरक्षी निरीक्षक, मुसाबनी अंचल
7-श्री आर०एन० बेग, सहायक आरक्षी निरीक्षक, जादूगोड़ा थाना
8-श्री छिपर सोरेन [विस्थापित चाटीकोचा]
9-मो०, कुमार दास
10-कुमार चन्द्र मार्डी
11-श्री घनश्याम बिरुली
12-श्री दुमका मुर्मू
13-श्री सिद्धेश्वर
14-श्री भिखारी माझी, विस्थापित चाटीकोचा
15-श्री ना राम सोरेन, विस्थापित चाटीकोचा
16-श्री मंगल सोरेन, विस्थापित चाटीकोचा।
17-श्री मनोज कुमार हेम्ब्रम [विस्थापित]
18-श्री नारायण बिरुली
19-श्री श्यामचरण मुर्मू
20-श्री राघु बानरा
21-श्री अर्जुन होप
22-श्री देवी माझी
23-श्री डाक्टर हो
24-श्री बोसेन मार्डी
25-श्री परमेश्वर मार्डी
26-श्री राजेश हेम्ब्रम
27-श्री कुछु राम हेम्ब्रम
28-श्री चन्द्राय हांसदा
29-श्री गुरा बासके

लगातार 2 पेज पर

J. Bhasin 8/5/97

cc: Manager (P.A)
Addl. Manager (Admn)

30-श्री सोमु सोरेन
31-श्री विश्वनाथ सोरेन
32-श्री [illegible]
33-श्री संकर मुर्मू
34-श्री बोरेन टुडू
35-श्रीमती लक्ष्मी सोरेन
36-" बांगो सोरेन
37-श्री सोहन मांझी
38-श्री [illegible]
39-श्री [illegible] मांझी
40-श्री पिथो मांझी
41-श्री उदय किस्कू
42-श्री [illegible]
43-श्री [illegible] सोरेन
44-श्री सिकन्दर [illegible]
45-श्री [illegible] मांझी
46-श्री [illegible] हेम्ब्रम
47-श्री साकरी मुर्मू
48-श्री रामदाई हेम्ब्रम
49-श्री सोना हेम्ब्रम
50-श्री भागवत मांझी
51-श्री साबु [illegible]
52-श्री लाल मोहन हेम्ब्रम
53-श्री [illegible] लाल [illegible]
54-श्री [illegible] सोरेन
55-श्री [illegible] टुडू
56-" तुलसी टुडू
57- रानी टुडू
58-श्री [illegible] मुर्मू
59-श्री सीता [illegible]
60-श्री साकरो [illegible]
61-श्री सिंगो सोरेन
62-श्री [illegible] सोरेन
63-श्री जोबा मांझी
64-श्री [illegible]
65-श्री परी सोरेन
66-श्री [illegible] मांझी
67-श्रीमती [illegible] मांझियाईन
68-" बासो मांझियाईन
69-श्रीमती गुलधारी मांझी

70-श्रीमती पद्मावती सोरेन

71-श्री तपन सोरेन

72-श्री श्याम सोरेन

73-श्री साधुका हेम्ब्रम

74-श्री दासु सोरेन

75-श्री लखना हो

76-श्री जय हो

77-श्री साधु हो

78-श्री मेघ राय मुर्मू

79-श्रीमती छुटी मुर्मू

80-श्रीमती लखीतारा बिरूली

81-श्री धरनी पोरेया

82-श्री साधो टेरेन

83-श्रीमती फुली हेम्ब्रम

84-श्रीमती फुलमनी मुर्मू

85-श्रीमती सरस्वती सवैया

86-श्री पारशा सोरेन

87-श्रीमती पार्वती हांसदा

88-श्रीमती चम्पा मार्डी

89-श्री सोमा बास्के

90-श्री चन्दु मुर्मू

91-श्रीमती पुनी किस्कु

92-श्रीमती सेनी मार्डी

93-श्री सायमन टूडू

94-श्रीमती चांदू गुड़िया

95-श्री दास मुर्मू

96-श्रीमती सोमनी हांसदा

97-श्री चानसे हेम्ब्रम

98-श्रीमती चाहुना हांसदा

99-श्री ठुपी हेम्ब्रम

100-श्री सोनु हांसदा

101-श्रीमती गुरुबारी हांसदा

102-श्रीमती लखी मुर्मू

103-श्री बाबू मार्डी

104-श्री बुधो हेम्ब्रम

विस्थापितों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मांग एवं उसपर हुए समझौते निम्न प्रकार :

मांग	समझौता
1- सभी विस्थापितों को स्थायी नौकरी यूरेनियम कॉरपोरेशन, जादूगोड़ा में दी जाय।	निर्णय लिया गया कि जो विस्थापित नौकरी के लिये निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें स्थायी रिक्ति के विरुद्ध यूसील में बहाली की जायेगी, जिसके परिवार में कोई पुरुष नौकरी योग्य नहीं है उस परिवार की महिला को भी यूसील में नियुक्ति की जायेगी।
2- विस्थापितों को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र एवं नाबालिगों को आयु सीमा होने पर नौकरी दी जाय।	निर्णय लिया गया कि जिन विस्थापितों के परिवार में से किसी व्यक्ति की नौकरी की आयु सीमा नहीं रहने के कारण नियोजन नहीं किया गया उनके परिवार के नाबालिग सदस्य को यूसील प्रमाण-पत्र देगा कि आयु सीमा होने पर उन्हें नौकरी दी जायगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिन परिवारों के किसी सदस्य को नौकरी मिल जाती है और उसी परिवार के किसी सदस्य को नाबालिग होने के कारण नौकरी नहीं मिलती है, तो यूसील विस्थापित प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जिसमें इस आशय का जिक्र रहेगा कि भविष्य में होने वाली नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
3- विस्थापितों ने घर बनाने के लिये मुआवजा की राशि की मांग की।	निर्णय लिया गया कि सभी विस्थापितों को मुआवजा के रूप में 45,000/-रुपये यूसील द्वारा एकमुश्त में दिये जायेंगे। विस्थापितों के लिये इंदिरा आवास के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को इंदिरा आवास बनाने के लिये सरकार की ओर से 20,000/-रु० लाभुकों को नियमानुसार दी जायेगी।
4- विस्थापितों ने जमीन एवं उसके विकास की मांग रखी।	निर्णय लिया गया कि ग्राम ... में अवस्थित 15 एकड़ सरकारी जमीन विस्थापितों के साथ बन्दोबस्ती की जायेगी। साथ ही यूरेनियम कॉरपोरेशन द्वारा आबंटित जगह तक पक्की सड़क, बिजली, पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराया जायेगा व वहां पर सामुदायिक विकास भवन की भी व्यवस्था की जायेगी। पुनर्वासित स्थल को यूरेनियम कॉरपोरेशन द्वारा एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की दिशा में भी पहल की जायेगी।

...ने जाहेर स्थान को स्लाईन डैम के अंदर रखने एंव वहां तक जाने का रास्ता संबंधी मांग।	यूसील प्रबन्धन द्वारा मांग मान ली गयी।
... तरह के अधिग्रहित जमीन की ... 70,000/-रू0 प्रति एकड़ से ... मांग [illegible]	इसपर विस्थापितों एंव उनके प्रतिनिधियों को कहा गया कि श्रेणीवार अधिग्रहित जमीन के लिये मुआवजा पूर्व में ही निर्धारित कर दी गयी है एंव राशि भी उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध है, अब उसपर किसी तरह की बढ़ोतरी संभव नहीं है। इसपर ईश्वर सोरेन ने आपत्ति जतायी और अपनी मांग पर अड़े रहे। बढ़ी राशि से संबंधित मांग पर सहमति नहीं हुई।
... डैम निर्माण में स्थानीय ... को काम देने संबंधी मांग।	निर्णय लिया गया कि स्लाईन डैम के निर्माण में स्थानीय व्यक्तियों को जो कार्य करने के लिये इच्छुक है उन्हें आवश्यकतानुसार काम दिया जायेगा।
...में जिन व्यक्तियों की जमीन स्लाईन डैम में डूब गया है उन्हें नौकरी दी जाय।	निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रभावित व्यक्ति पूर्ण विवरण के साथ अंचल अधिकारी, पोटका एंव यूसील प्रबन्धन को आवेदन देंगे, जिन्हें जांच के पश्चात यदि सत्य पाया जायेगा तो उन्हें भी यूसील द्वारा नौकरी दी जायेगी।
9-विस्थापितों को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा संबंधी मांग।	यूसील प्रबन्धन द्वारा मांग स्वीकार की गयी।
10-प्रस्तावित स्लाईन डैम के किनारे बसे कस्बों का सर्वेक्षण कराने एंव रेडियेशन से बचाव संबंधी मांग।	निर्णय लिया गया कि ऐसे ग्रामों का सर्वेक्षण कराया जायेगा और तकनीकी एंव स्वास्थ्य की दृष्टि से हटाना आवश्यक होगा तो निर्धारित सुविधाओं के साथ उन्हें भी यूसील द्वारा पुनर्वासित कराया जायेगा।

अंत में उपर्युक्त मांगों के आलोक में हुए समझौते के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सर्वसम्मति से एक कमिटी का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया।

कमिटी सदस्य –1-अंचल अधिकारी, पोटका
2-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका
3-श्री ए0 हकीम, अपर प्रबन्धक(प्रशासन) यूसील जादूगोड़ा
4-श्री ईश्वर सोरेन, विस्थापित एंव उनके प्रतिनिधि
5-श्री घनश्याम बिरूली, विस्थापित एंव उनके प्रतिनिधि
6-श्री दुपका मुर्मू, विस्थापित एंव उनके प्रतिनिधि

यह कमिटी अविलंब अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे तथा दिनांक-6-5-97 से स्लाईन डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।

के0के0 बेरी, डायरेक्टर टेक्निकल, यूसील, जादूगोड़ा	श्री ...एल0 देव, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता धालभूम, जमशेदपुर।	अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक-272 /गो0, जमशेदपुर, दिनांक- ६ वीं मई, 1997।

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूसील, जादूगोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
धालभूम, जमशेदपुर।